

क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या श्री धर्मेश विगोनिया औषधि निरीक्षक भोपाल को वैतूल संलग्नीकरण किया गया ? यदि हाँ तो इनके दिनांक 24-03-2020 के संलग्नीकरण आदेश की प्रमाणित प्रति दें।	जी हाँ। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" अनुसार है।
(ख)	क्या इन्होंने लाइसेंसिंग अथॉरिटी के रूप में जिला वैतूल में कार्य किया है ? यदि हाँ तो इस संबंध में दिए आदेश की प्रमाणित प्रति दें। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आदेश के बिना उन्होंने किस आधार पर लाइसेंसिंग अथारिटी के रूप में आदेश जारी किए ?	जी हाँ। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" अनुसार है। अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्रों के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित है। अतः शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
(ग)	प्रश्न (क) अनुसार संलग्नीकरण से प्रश्न दिनांक तक इन्होंने औषधि अधिनियम के तहत क्या-क्या कार्यवाही एवं कितने लाइसेंस जारी किए ?	जानकारी परिशिष्ट "ब" अनुसार है।
(घ)	जब इन्हें लाइसेंसिंग अथॉरिटी के रूप में कार्य करने का आदेश नहीं था तो इन्होंने प्रश्न (ग) अनुसार कार्यवाही कैसे की ? क्या ये समस्त कार्यवाही निरस्त होगी ? यदि नहीं तो क्यों ?	श्री धर्मेश विगोनिया औषधि निरीक्षक को मध्यप्रदेश राजपत्र में उनकी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्रों के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी घोषित किया गया है। अतः विभाग के आदेशानुसार वैतूल जिले में लाइसेंसिंग अथारिटी के रूप में कार्य किया गया। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सचिव लोड एंड रकॉर्ड्स डिवीजन भुवनेश्वर

संयुक्त नियंत्रक  
खाद्य एवं औषधि प्रशासन  
मध्यप्रदेश

कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन  
मध्य प्रदेश

426

कमांक-एक / स्था - 1 / 84 / 2020 / 338

भोपाल, दिनांक 24.3.2020

## आदेश

कोविड 19 ( कोरोना वायरस ) महामारी से बचाव के लिए प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्नलिखित औषधि निरीक्षकों को उनके नाम के समुख दर्शित जिलों में संलग्नीकरण हेतु आगामी आदेश तक प्रभार दिया जाता है:-

क्र.सं.	औषधि निरीक्षक का नाम	वर्तमान पदस्थापना	जिले का नाम जिसका प्रभार सौंपा जा रहा है
(1)	श्री धर्मश बिगोनिया	मुख्यालय भोपाल	जिला बैतूल
(2)	श्री अलकेश यादव	जिला इन्दौर	जिला रीवा
(2)	श्री शोभित तिवारी	जिला इन्दौर	जिला सीधी एवं सिंगरोली

निर्देशित किया जाता है कि सभी संबंधित तत्काल अपने प्रभार वाले जिले में उपस्थिति सुनिश्चित करें।

(आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक  
महोदय द्वारा अनुमोदित )

*(Handwritten Signature)*  
24/3/2020  
( डी.के. नागेन्द्र )  
संयुक्त नियंत्रक  
खाद्य एवं औषधि प्रशासन  
मध्य प्रदेश

कमांक-एक / स्था.-1 / 60 / 2019 / 339  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 24.3.2020

- कलेक्टर जिला इन्दौर / रीवा / बैतूल / सीधी एवं सिंगरोली / मु. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पदेन उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला इन्दौर / रीवा / बैतूल / सीधी एवं सिंगरोली / मु. भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रंभित।
- श्री धर्मश बिगोनिया / श्री अलकेश यादव / श्री शोभित तिवारी औषधि निरीक्षक, उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला इन्दौर / भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

*(Handwritten Signature)*  
24/3/2020  
( डी.के. नागेन्द्र )  
संयुक्त नियंत्रक  
खाद्य एवं औषधि प्रशासन

विधान सभा अतारांकित पश्न क्रमांक 5687

प्रश्नांश ग की जानकारी

परिशिष्ट-“ब”

संलग्नीकरण से पश्न दिनांक तक की गयी कार्यवाही का विवरण :

अनु. क्रमांक	की गयी कार्यवाही का विवरण	कार्यवाही
1	औषधि संस्थानों के निरीक्षण	268
2	लाइसेंसों का निलम्बन	08
3	लाइसेंसों के निरस्तीकरण	06
4	नमूनों के संग्रहण का कार्य	48
5	अन्य कार्यवाही	सी.एम. हेल्पलाइन के प्रकरणों को समाधान, कोर्ट संबंधित कार्य आदि।



औषधि निरीक्षण  
जिला भोपाल/बिड़र  
धर्मेश विगोनिया  
औषधि निरीक्षक  
जिला-बैतूल